

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज0)

मु.नं. 63/2018

सरकार

बनाम

श्री : चतरसिंह पुत्र पदमसिंह

जाति गुर्जर

निवासी जहनोंली

किरम मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय दिनांक: 26/09/18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act 1956 इस आशय की पेश की गई कि अतिक्रमी श्री चतरसिंह पुत्र श्री पदमसिंह जाति गुर्जर निवासी जहनोंली तहसील महवा ने संवत् 2075 फसल रवि/ खरीफ में ग्राम जहनोंली की राजकीय आराजी खसरा नं. 845 रकबा 1.29 किरम ज.भू.मघट भूमि से 0.07 रकबा पर अनाधिकृत रूप से वाजरा कर अतिक्रमण किया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हांजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.16 का 50 गुना 8.5 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है तथा इस पर खड़ी फसल वाजरा को नीलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसूली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली तथा खड़ी फसल को नष्ट / नीलामी हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली के पृष्ठ नं० 98 पर  
वष 2018 में पेटवारी/फसल नीलामी  
की राशि तादादी रूपये 84500.2 1081-  
की जमा कायमी की गई।  
दिनांक 26/09/18  
तहसीलदार महवा

M  
तहसीलदार  
तहसीलदार

तहसील महवा जिला दौसा